


सत्र: 2018-19

आधार प्रमाणीकरण हेतु निर्देश

- (1) आधार प्रमाणीकरण हेतु अभ्यर्थी पंजीयन के समय OTP/ Biometric के माध्यम से e-KYC प्रक्रिया सम्पन्न कर सकता है।
- (2) पंजीयन के समय आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने पर आधार प्रमाणीकरण हेतु अभ्यर्थी OTP अथवा Biometric के माध्यम से पोर्टल पर कहीं से भी (अधिकृत सहायता केन्द्र/ एमपीऑनलाईन के कियोस्क के माध्यम से) प्रक्रिया पूर्ण कर सकता है।
- (3) यदि पंजीयन उपरांत दस्तावेज सत्यापन के पूर्व तक आधार प्रमाणीकरण की कार्यवाही अभ्यर्थी द्वारा संपादित नहीं की गई है तब सहायता केन्द्र पर अभ्यर्थी आधार प्रमाणीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत ही दस्तावेजों का सत्यापन करवा सकेंगे।
- (4) आधार प्रमाणीकरण के संबंध में अभ्यर्थी किसी तरह की जानकारी हेतु सहायता केन्द्रों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं।
- (5) यदि आधार प्रमाणीकरण OTP अथवा Biometric के माध्यम से नहीं हो पा रहा है तो अभ्यर्थी सहायता केन्द्रों पर उपस्थित होकर सत्यापन अधिकारी द्वारा आधार की जानकारी यथा- फोटो, नाम, जन्म दिनांक, लिंग इत्यादि का मिलान दस्तावेजों से कर आधार प्रमाणीकरण कर सकेंगे।
- (6) यदि अभ्यर्थी के पास आधार नम्बर के स्थान पर आधार नामांकन (16 अंक) है तब आधार नामांकन की प्रविष्टि कर काउंसलिंग के पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण कर निकटस्थ सहायता केन्द्र पर उपस्थित होकर इस बाबत घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे कि अभ्यर्थी प्रवेश के पूर्व आधार नम्बर प्राप्त कर e-KYC की कार्यवाही पूर्ण करेंगे।

  
30/5  
अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं  
संचालक तकनीकी शिक्षा,  
मध्यप्रदेश